तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/4717/2006/एलआर/भरतपुर** **असलूप बनाम सुल्तान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री ओ0एल0दवे, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री जे0के0 पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय **दिनांकः 1–10–2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग की अपील संख्या 10/2003 बउनवानी असलूप बनाम सुल्तान में पारित निर्णय दिनांक 24–06–2006 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी ख0 नं0 163 रकबा 5 बीघा एवं 161 रकबा 10 बीघा भूमि ग्राम दाहना तहसील पहाड़ी को कीमतन प्रार्थी सं0 1 असलूप को ख0 नं0 161 मिन में से रकबा 0–49, प्रार्थी सं0 2 रोशनी बेवा आस मौहम्मद को ख0 नं0 161 मिन में से रकबा 0–65 तथा ख0 नं0 163 में 0–057 कुल किता 2 रकबा 1–22 एवं प्रार्थी सं0 3 खुर्शीदन बेवा इस्लाम को ख0 नं0 161 मिन में से 0–16 तथा प्रार्थी सं0 4 इब्राहिम को ख0 नं0 163 में से 0–24 है0 का तहसीलदार पहाड़ी (मैनेजिंग ऑफिसर) द्वारा दिनांक 24–6–2002 को 4000 रू0 की दर से आवंटन किया गया जिसकी समस्त रकम प्रार्थीगण द्वारा जमा करवा दी गई जिसके विरूद्व अप्रार्थी द्वारा एक अपील विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई कि तहसीलदार को आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं है। परमानेन्ट आवंटन के लिए राज्य सरकार ने नियम बनाये हैं। इसके तहत तहसीलदार को नवीन व्यक्तियों को आवंटन करने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा किया गया आवंटन क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्तनीय है। विद्वान जिला कलक्टर के समक्ष प्रार्थी के अभिभाषक लकवा से ग्रसित होने से उपस्थित नहीं होने से एकतरफा में अपीलांट/अप्रार्थी की अपील गलत एवं गैर कानूनी निर्णय दिनांक 28–5–2003 के द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2002 की पालना में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह द्वितीय अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 24–6–2006 के द्वारा खारिज कर दी जिस निर्णय दिनांक 24–6–2006 से व्यथित होकर निगरानीकार ने यह निगरानी इस न्यायालय में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/4717/2006/एलआर/भरतपुर</u>** **असलूप बनाम सुल्तान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत की गई है।

3— निगरानी पर दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

4— दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अलग—अलग व्यक्तियों को अलग—अलग भूमि आवंटन की गई है जिसके विरूद्व अप्रार्थी द्वारा एक ही अपील प्रस्तुत की गई है जो विधि द्वारा वर्णित कानूनी प्रावधनों के विपरीत है क्योंकि अलग—अलग आवंटन आदेश से अलग—अलग व्यक्तियों को आवंटन किया गया, इसलिए अलग—अलग अपील करनी चाहिए थी। अप्रार्थी उक्त तहसीलदार के आदेश से किसी भी प्रकार से व्यथित नहीं था और अगर वह व्यथित भी था तो उसको धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील पेश करनी चाहिए थी। इसी आराजी बाबत एक आवंटन इन्द्रसिंह को किया गया जिसके खिलाफ प्रार्थी द्वारा एक अपील अति0 कलक्टर भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका मुख्य आधार यही था कि आराजी पर इन्द्रसिंह का कब्जा नहीं है और वह इस गांव का निवासी नहीं है जबकि प्रार्थीगण इस आराजी पर काबिज काश्त है। इसलिए कीमतन आवंटन की जावें। इन्द्रसिंह का आवंटन जिला कलक्टर ने अपने आदेश दिनांक 31—8—1985 द्वारा निरस्त कर दिया तथा भूमि पुनः राजकीय दर्ज की जा चुकी है। इसलिए प्रार्थी उक्त आवंटन के पात्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 18—6—2002 को बनाया जबकि उक्त रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी होने से तहसीलदार कम मेनजिंग ऑफिसर द्वारा प्रार्थीगण को नियमानुसार आवंटित की गयी थी जिसके विरूद्व अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष अपील चलने योग्य नहीं थी क्योंकि कस्टोडियन से संबंधित विवाद तय करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को प्राप्त नहीं है। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों के एकदम विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें।

5— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण/गैर निगराकार ने अभिभाषक निगराकार के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0 का कब्जा था। तहसीलदार द्वारा सुल्तान के पक्ष में आवंटन किया गया है। वादग्रस्त आराजी गै0मु0 कस्टोडियश्न दर्ज है तथा इसमें सुल्तान का टयूबवैल लगा है व बगीची बनी है। भूमि आवंटन का अधिकार तहसीलदार को नहीं होकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/4717/2006/एलआर/भरतपुर</u>** **असलूप बनाम सुल्तान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मेनेजिंग कमेटी को है। इसलिए निगरानी खारिज योग्य है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2016 आर0आर0टी0 पेज 1102 की नजीर प्रस्तुत की।

6— उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7— पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28—5—2003 में अंकित किया गया है कि विवादित आराजी का पूर्व में दिनांक 16—8—1983 को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर कामा के द्वारा इन्द्रसिंह पुत्र भगतसिंह को आवंटन किया गया था जो जिला कलक्टर, भरतपुर की आज्ञा दिनांक 31—8—1985 के द्वारा निरस्त किया जा चुका था। वादग्रस्त आराजी मकबूजा सरकार कस्टोडियन दर्ज राजस्व रेकार्ड है। राजस्थान परमानेन्ट एलोटमेन्ट ऑफ इवेक्यू एग्रीकल्चर नियम 1963 के तहत आज्ञा जेरे अपील से रेस्पो0 को विवादित आराजी कीमतन आवंटन किये जाने की आज्ञा रेस्पो0 को पुराना कब्जा मानते हुए पारित की गई है जबकि आवंटन नियम 1963 में पूर्व में किये गये आवंटन को निरस्त करने के बाद ही कृषि भूमि का आवंटन किये जाने का नियमों में प्रावधान है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में दिनांक 16—8—83 को आवंटित हुई जिसको दिनांक 31—8—85 को निरस्त किया जा चुका है। वर्ष 1963 के बाद आवंटित आराजी मकबूजा सरकार कस्टोडियन को नवीन आवंटन बहक रेस्पो0 को किया जाना नियमों के विरूद्व रहता है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 18—6—2002 के अनुसार भी रेस्पो0 का वर्तमान में कब्जा होने का कोई प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जहां तक अति0 कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 10—9—93 के निर्देशों का प्रश्न है उसमें भी तहसीलदार को नियमानुसार जांच कर आवंटन के बिन्दु पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में विधिवत् जांच कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। आज्ञा जेरे अपील पारित करने से पूर्व नियमों के अन्तर्गत विधिवत् प्रक्रिया पूर्ण किया जाना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर पहाड़ी की आज्ञा दिनांक 24—6—2002 निरस्त की जाती है।

8— अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24—6—2006 में अंकित किया है कि इस प्रकार के आवंटन राज0 परमानेन्ट एवेक्यू प्रोपर्टी एक्ट एवं रूल्स 1963 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन होते हैं न कि 1970 के नियमों के तहत। भूमि पर कब्जा होने पर ही आवंटन/नियमन के आदेश पारित किये जा सकते हैं। चूंकि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/4717/2006/एलआर/भरतपुर</u>** **असलूप बनाम सुल्तान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाया गया था कि उनके समक्ष अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा था जिसको मैनेजिंग ऑफिसर कम तहसीलदार ने दिनांक 24–6–2002 का आवंटन आदेश अपीलांट असरूम को किया था जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 पक्षकार थे। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष से सहमति रखते हैं। इसलिए अपील में अपीलांट द्वारा उठाये गये आधार सारहीन होने से खारिज योग्य हैं। दिनांक 24–6–2002 को किया गया आवंटन एवं दिनांक 18–6–2002 की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं 8–1–1999 की पटवारी हल्का की कब्जा रिपोर्ट में सामंजस्य नहीं है। इसलिए पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 8–1–99 एवं 18–6–2002 को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर का आदेश दिनांक 24–6–2002 एवं कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 28–5–2003 निरस्त किये जाते हैं। 9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित आराजी का पूर्व में दिनांक 16–8–1983 को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिर, कांमा के द्वारा इन्द्रसिंह पुत्र भगतसिंह को किया गया था जो न्यायालय हाजा की आज्ञा दिनांक 31–8–1985 से निरस्त किया जा चुका है। विवादित आराजी मकबूजा सरकार कस्टोडियन दर्ज राजस्व रेकार्ड है। 10– अपीलीय न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 18–6–2002 तथा 8–1–1999 की कब्जा रिपोर्ट में सामंजस्य नहीं होने का आधार लिया गया है। 11– पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 8–1–1999 के अनुसार मौके पर अब्दुल पुत्र नूरू कौम मेव सा0 मानोता कला का उक्त खसरा नम्बर में कहीं भी कब्जा नहीं है। सुल्तान पुत्र हुरमेव का 0–64 है0 पर कब्जा है। 12– पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 18–6–2002 के अनुसार आराजी ख0 नं0 161 मिन रकबा 0–49 मिन पर असलूप पुत्र सुफेदा मेव, 161 मिन रकबा 0–65 व 163 रकबा 0–57 है0 किता 2 रकबा 1–22 है0 पर रोशनी बेवा आस मौहम्मद का, 161 रकबा 0–16 है0 पर खुर्शीदन बेवा इस्लाम व 163 रकबा 0–24 है0 पर इब्राहिम पुत्र रूस्तम मेव का कब्जा वर्तमान में मौजूद है। ख0 नं0 161 मिल रकबा 0–32 है0 का आवंटन हनीफ पुत्र हुरमत को पूर्व में हो चुका है। 13– पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कब्जा प्रतिवादी का है। अतः स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं किया गया है। विद्वान जिला कलक्टर द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / 4717 / 2006 / एलआर / भरतपुर</u>** **असलूप बनाम सुल्तान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	14— अतः उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए निगरानी अस्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग का निर्णय दिनांक 24—6—2006 व तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर का निर्णय दिनांक 24—6—2002 निरस्त किये जाते हैं एवं विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर का निर्णय दिनांक 28—5—2003 बहाल रखा जाता है। 15— पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 16— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	